

## भारत का संविधान

- संविधान वह सर्वोच्च विधि होती है, जो किसी देश में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय मूल्यों एवं संस्थाओं की स्थापना करती है। संविधान का उद्देश्य एक विशिष्ट राजनैतिक संस्कृति का विकास करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान द्वारा विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाता है।
- भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक मूल्यों एवं संस्थाओं को स्थापित करने के लिए एक लिखित संविधान अपनाया। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई, 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों (Recommendations) के आधार पर किया गया था।

### संविधान का निर्माण

- भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 71 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसमें आरम्भ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 9 अनुसूचियाँ (वर्तमान में 12) थीं।
- संविधान का निर्माण देश के प्रत्येक प्रान्त से चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रान्तों से, 93 देशीरियासतों से एवं 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि दिल्ली, अजमेर-मारवाड़ कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल थे।
- प्रत्येक प्रान्त की सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तीन प्रमुख समुदायों-मुस्लिम, सिख और सामान्य में बाँटा गया।
- संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 को सम्पन्न हुआ था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। डॉ. सच्चिदानन्दसिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जोकि अस्थायी तौर पर इस पद पर नियुक्त किए गए थे।
- 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

### देश का प्रथम अन्तरिम मन्त्रिमण्डल

जवाहरलाल नेहरू	कार्यकारी परिषद् के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमण्डल
सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण
बलदेव सिंह	रक्षा
सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
जगजीवन राम	श्रम

आई आई चुन्दरीगर	वाणिज्य
जोगेन्द्र नाथ मण्डल	विधि
जॉन मथाई	उद्योग तथा आपूर्ति
सी एच भाभा	खान एवं बन्दरगाह
आसफ अली	रेलवे
लियाकत अली खॉ	वित्त
अब्दुल रब निश्तार	संचार
गजनफर अली खॉ	स्वास्थ्य

- पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ' उद्देश्य प्रस्ताव ' ( Objective Resolution ) 13 दिसम्बर , 1946 को प्रस्तुत किया , जो भारतीय संविधान का आधार बना।
- उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के रूप में परिष्कृत ( Purify ) करने के लिए विभिन्न विषयों से सम्बन्धित समितियों का गठन किया गया , जिनमें सबसे प्रमुख डॉ . भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी सात सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी ।
- प्रारूप समिति में डॉ . अम्बेडकर के अतिरिक्त एन गोपालास्वामी आयंगर , अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर , के एम मुंशी , मोहम्मद सादुल्लाह , डी पी खतान ( 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात् टी टी कृष्णामाचारी नियुक्त ) और एन माधवराव ( जी एल मित्र के स्थान पर नियुक्त ) अन्य सदस्य थे ।
- 26 नवम्बर , 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था , जिस पर 254 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए । 26 जनवरी , 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया , क्योंकि सन् 1930 से ही 26 जनवरी का दिन सम्पूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था , इसलिए 26 जनवरी , 1950 को प्रथम गणतन्त्र दिवस मनाया गया
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है ।
- संविधान सभा की अन्तिम बैठक 24 जनवरी , 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया ।

### संविधान समिति

समितियाँ	अध्यक्ष
प्रारूप	डॉ. बी आर अम्बेडकर
कार्य संचालन	के एम मुंशी
संघ संविधान , संघ शक्ति	पं. जवाहरलाल नेहरू
मूल अधिकार , अल्प संख्यक , प्रान्तीय संविधान	सरदार वल्लभभाई पटेल